

अपराध अधिनियम का कानून, संख्या १

आदेश फलक

प्रति आदेश दिया गया है कि

आदेश दिया गया है २४ २०२० २०२१

आदेश की को संख्या
और तिथि

आदेश और अपराधकारी का पता

आदेश पर की गई
अनुवाद के बारे में
दिनांक और संख्या

१

२

३

१२-११-२०२०

संख्या अपराधकारी का अपराध अधिनियम संख्या के अंतर्गत अपराधकारी के
अनुवाद और अपराधकारी का पता १४० आता है १०९ और ११०
१६२ संख्या १०२ से १०३ तक अपराधकारी के अपराध आता है।
सबसे अधिकतर अपराध अपराधकारी के अपराध आता है।
अपराधकारी के अपराध अपराधकारी के अपराध आता है।
अपराधकारी के अपराध अपराधकारी के अपराध आता है।

अपराध अधिनियम के अंतर्गत अपराध दिया जाता है कि
अपराधकारी के अपराध अपराधकारी के अपराध आता है।
अपराधकारी के अपराध अपराधकारी के अपराध आता है।
अपराधकारी के अपराध अपराधकारी के अपराध आता है।

अपराध दिनांक १२-११-२०२० को अपराधकारी के अपराध
अपराध

अपराध अधिनियम
संख्या १

अपराध अधिनियम
संख्या १

सं०-	पदाधिकारी का आदेश एवं उनकी कार्रवाई	अभ्युक्ति
11.12.2020	अभिलेख उपस्थापित। अमीन के द्वारा प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है। अतिक्रमणकारी श्री डोमनाथ महतो, पिता- लाल बिलारी महतो, निवासी विनका द्वारा उपस्थित होकर अनुरोध किया है कि उनके द्वारा मौजा- विनका के खाता- 109, खेसरा सं०- 452 रकबा 0.02 ए० भूमि पर अस्थायी रूप से खलियान का निर्माण किया गया है, जिसे वो जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह में खाली कर देंगे। चूंकि सरकारी भूमि पर खलियान का निर्माण अस्थायी रूप से किया गया है अतः अतिक्रमणकारी के आवेदन पर विचार करते हुए उन्हें अतिक्रमण हटाने हेतु एक माह का समय दिया जाता है। एक माह के पश्चात राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करें। अभिलेख दिनांक- 07.01.2021 को उपस्थापित करें। लेखापित  अंचल अधिकारी सोनुआ अंचल अधिकारी सोनुआ।	
7.1.2021	अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा- विनका, थाना नं०- 140, खाता नं०- 109, खेसरा नं०- 452 रकबा- 0.02 ए० भूमि से अतिक्रमण हटा दिया गया है, तथा वर्तमान में भूमि खाली है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित  अंचल अधिकारी सोनुआ अंचल अधिकारी सोनुआ।	